

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संकल्प संख्या-भवन/10-विविध(गयाजी)-02/2026...../ पटना, दिनांक-

:: सकल्प ::

Construction of 20 Unit P.O Quarter (G+5) 4 Unit of such type i.e, 80 P.O. Qtr. and Community center in Judicial Colony, Gaya including electrification Work के निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच मुख्य अभियंता (गुणवत्ता अनुश्रवण) से करायी गयी, जिसमें गंभीर त्रुटियाँ पाये जाने के फलस्वरूप इसकी जाँच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना से भी करायी गयी।

जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियाँ के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-5001(भ0) दिनांक-04.06.2026 द्वारा श्री अखिलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक-16.06.2026) प्राप्त हुआ।

श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत इस मामले की वृहद् जाँच हेतु विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

इस विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता (उत्तर) को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रोहित कुमार, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

श्री अखिलेश कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष बचाव-बयान सहित स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(मृदुला कुमारी)

सरकार के उप सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(गयाजी)-02 / 2026..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (उत्तर)-सह-संचालन पदाधिकारी एवं श्री रोहित कुमार, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / श्री अखिलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी को आरोप पत्र एवं साक्ष्य की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर सम्पन्न कर जाँच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(गयाजी)-02 / 2026..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन विश्वेश्वरैया भवन, पटना / गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(गयाजी)-02 / 2026..... / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/उप सचिव/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन / 10-विविध(गयाजी)-02 / 2026..... 8910(1) / पटना, दिनांक- 18/9/24

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/9/24
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।